

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदोसर जिला चित्तौडगढ राज0

पीठासीन अधिकारी- श्री मांगीलाल रेगर , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या- 45/2016

दिनांक 29-10-2018

अनवान

दलीचन्द पिता भूरा रेगर वयस्क निवासी सैंती तहसील व जिला चित्तौडगढ

.....वादी

॥ बनाम ॥

1. डालू पिता भेरूलाल भाण्ड वयस्क निवासी पंचदेवला तहसील भदोसर
2. बाली पत्नी स्व. शंभू भाण्ड वयस्क निवासी पंचदेवला तहसील भदोसर
3. पुष्पाबाई देवा नारायण भाण्ड वयस्क निवासी पंचदेवला तहसील भदोसर
4. कैलाश पिता नारायण ना0बा0जरिये सरक्षक माता पुष्पाबाई देवा नारायण भाण्ड निवासी पंचदेवला तहसील भदोसर
5. दिनेश पिता नारायण ना0बा0जरिये सरक्षक माता पुष्पाबाई देवा नारायण भाण्ड निवासी पंचदेवला तहसील भदोसर
6. संपत पिता नारायण ना0बा0जरिये सरक्षक माता पुष्पाबाई देवा नारायण भाण्ड निवासी पंचदेवला तहसील भदोसर
7. गीता पिता नारायण ना0बा0जरिये सरक्षक माता पुष्पाबाई देवा नारायण भाण्ड निवासी पंचदेवला तहसील भदोसर
8. सीमा पिता नारायण ना0बा0जरिये सरक्षक माता पुष्पाबाई देवा नारायण भाण्ड निवासी पंचदेवला तहसील भदोसर
9. सरकार जरिये तहसीलदार भदोसर


.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209, रा0 का0 अधि0 1955

उपस्थित- नरेन्द्रसिंह पंवार

निर्णय

हस्तागत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188, 209 के तहत वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज मौजा पंचदेवला की खाता संख्या 15 की आराजी संख्या 550 रकबा 0.59 हैक्टैयर लगानी 12.33 पैसा स्थित है राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि शामिल होने से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन रकबे की कमी वेंसी को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहता है इसलिए विधिवत विभाजन कराया जावे ।


29.10.18



प्रकरण बाद कार्यवाही दिनांक 18-01-2017 को प्राथमिक स्तर पर डिकी किया गया तथा विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार भदोसर को कमीशनर नियुक्त किया गया । विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया जो माफिक आदेश होकर इसी अनुसार वाद अन्तिम रूप डिकी किये जाने में कतई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से हस्ब फर्द बंटवारा वाद वादी अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है तथा पक्षकारान के मध्य वाद वर्णित मौजा पंचदेवला की विवादित आराजीयातका निम्न प्रकार विभाजन किया जाकर अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

मौजा- पंचदेवला

क्र.स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	दलीचन्द पिता भूरा रेगर सा.सैती चित्तौडगढ के हिस्से में रहेगी	550 मी.	0.21	4.41
	योग	किता 1	0.21	4.41
2	कैलाश दिनेश सम्पत गीता सीमा पिता नाराण ना0बा. स.प.माता पुष्पा बाई 12/38 डालू पिता भेरूलाल 11/38 श्रीमति वाली धर्मपत्नी स्व. शम्भूलाल 15/38 भाण्ड सा.देह के हिस्से में रहेगी	550 / 1	0.38	7.98
	योग	किता 1	0.38	7.98

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे । इसी आशय का पर्चा डिकी अलग से मुर्तिब किया जावे । निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(सांगीलाल रेगर)
उपखण्डअधिकारी
भदोसर